Date: 17/10/25

IDC-1

Topic: Empowerment of Dalits

→ अनुसूचित जातियों के उत्थान/सशक्तिकरण में अनेक संवैधानिक व्यवस्थाएँ की गयी जो इस प्रकार हैं:→

(i) संवैधानिक प्रावधान

* संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश करने और साधारण जनता के उपयोग के लिए बने कुओं, तालाबों, स्नान-घाटों, सड़कों, आदि के प्रयोग से कोई किसी को नहीं रोकेगा।

* अनुच्छेद 15(4) में आरक्षण तथा अनुच्छेद 16(4) में आर्थिक विकास की गारण्टी दी गई है।

* अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अन्त कर उसका किसी भी रूप में प्रचलन निषिद्ध कर दिया गया है।

* अनुच्छेद 19 के आधार पर अस्पृश्यों की व्यवसायिक निर्योग्यताओं को समाप्त किया जा चुका है। उन्हें किसी भी व्यवसाय को अपनाने की आजादी प्रदान की गयी है।

* अनुच्छेद 29 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, जाति, वंश अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता।

* अनुच्छेद 46 में राज्य दुर्बलतर लोगों (अनु० जाति तथा आदिम जाति) के शिक्षा तथा आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनको बचायेगा।

PDF by
Dr. Nitish Vardhan
Sociology